प्रेस नोट दिनांक 10.06.2025
थाना कोतवाली जनपद बरेली

थाना कोतवाली #bareillypolice द्वारा सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं की निजता भंग करने व गलत टिप्पणी करने वाले व समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले हैदरी दल बरेली नामक इन्स्टाग्राम आईडी के दो सदस्य को गिऱफ्तार किया गया।

दिनांक 07.06.2025 को विभिन्न सोशल मीडिया पर हैदरी दल नामक इन्स्टाग्राम आईडी से प्रसारित वीडियो जिसमें कुछ युवक थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत स्थित गांधी उद्यान में घूम रहीं कुछ महिलाओं एवं युवतियों को जबरदस्ती रोककर उनकी फोटो वीडियों बनाकर प्रसारित किया गया था, इस सम्बन्ध में सोशल मीडिया पर प्राप्त शिकायत के आधार पर प्रभारी चौकी चौराहा उ0नि0 नितिन राणा द्वारा जाचोंपरान्त घटना सत्य पायी गयी, जिस सम्बन्ध में सर्विलांस सैल व साइबर सैल के माध्यम से इन्स्टाग्रामआईडी sufian-08 को ट्रेस कराया गया तो उक्त आई0डी0 मुफ्ती खालिद पुत्र मो0 आलम नि0 पूरनपुर जिला पीलीभीत हाल पता सिटी स्टेशन रोड थाना किला बरेली व रियाजुद्दीन पुत्र इंन्तजार नि0 मझउआ थाना फरीदपुर बरेली (इमाम गरीब शाह मस्जिद ईट पजाया चौराहा थाना बारादरी बरेली) व शहवाज रजा उर्फ सूफियान पुत्र शमशेर अली नि0 मलपुर थाना भुता जिला बरेली (नाईबे इमाम गरीब शाह मस्जिद ईट पजाया चौराहा थाना बारादरी बरेली) द्वारा विगत एक माह से संचालन किया जाना पाया गया। इनके द्वारा इस तरह से सार्वजनिक स्थल पर महिलायों को रोक कर उनकी जाति धर्म पूछने व उन पर अभद्र टिप्पणी करते हुए उनकी वीडियो फोटो बनाकर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफोर्म पर शेयर करने से सभ्य समाज व महिलायों में रोष एवं असुरक्षा का भाव उत्पन्न हुआ व धर्म विशेष के मध्य वैमनस्यता बढाने का कार्य किया है। इनके उपरोक्त कृत्य के द्दष्टिगत बीएनएस की सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली बरेली पर मु0अ0सं0 291/2025 धारा 353,196,79,126(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया एवं प्रकरण में सलिंप्त अभियुक्त 1. समीर रजा पुत्र गुड्डू नि0 ईट पजाया चौराहा तहसीनी बिरियानी थाना बारादरी बरेली उम्र 25 वर्ष 2. सहवाज रजा उर्फ सूफियान पुत्र शमशेर अली नि0 मलपुर थाना भुता बरेली उम्र 28 वर्ष को आज दिनांक 10.06.2025 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। अभियोग में सलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. समीर रजा पुत्र गुड्डू नि0 ईट पजाया चौराहा तहसीनी बिरियानी थाना बारादरी बरेली उम्र 25 वर्ष
2. शहवाज रजा उर्फ सूफियान पुत्र शमशेर अली नि0 मलपुर थाना भुता बरेली उम्र 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण

1. दो मल्टीमीडिया मोबाइल फोन

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0स0 291/2025 धारा 353,196,79,126(2) बीएनएस थाना कोतवाली, बरेली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. जनपदीय एसओजी टीम।
2. सर्विलांस सैल टीम बरेली।
3. उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बरेली।
2. उ0नि0 श्री नितिन राणा थाना कोतवाली बरेली।
3. हे0का0 771 राकेश मिश्रा थाना कोतवाली बरेली।
4. का0 3455 धर्मेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बरेली।